gfj;k.kk ljdkj

पषुपालन तथा डेयरिंग विभाग

notification

fnukad 17 flrEcj] 2019

la[;k dkåvkå 72@gåvå19@2010@/kkjk 32@2019.—हरियाणा गौ-सेवा आयोग अधिनियम,2010 (2010 का 19), की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणाके राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातेgSa] vFkkZr~%&

1- (1) ये नियम हरियाणा गौ-सेवा आयोग नियम, 2019, कहे जा सकते हैं। laf{kIr uke rFkk प्रारम्भ।
(2) ये नियम राजपत्र में इन के प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

2- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्ष्ि‍ात न हो,- ifjHkk"kk;saA

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा गौ-सेवा आयोग अधिनियम, 2010 (2010 का 19);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "विभाग" से अभिप्राय है, पषुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा;

(घ) "धारा" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा; तथा

(ड) "सचिव" से अभिप्राय है, आयोग का सचिव।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा अधिनियम में परिभाषित षब्दों तथाअभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमषः अधिनियम में दिये गये हैं।

3- (1) सचिव, हरियाणा सिविल सेवा का पदेन अधिकारी या विभाग में कार्यरत कोई संयुक्त निदेषक/ उपनिदेषक की पदवी से नी‍ेचे का न हो, होगा। सचिव वेतन तथा भत्ते आयोग कोमुहैया सहायता अनुदान से प्राप्त करेगा। lfpo dh fu;qfDr] ’kfDr;k¡ rFkk drZO;A /kkjk 5-

(i) सचिव आयोग का मख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और आयोग के सभी निर्णयों को प्रमाण्ि‍ात करने के लिए अध्यक्ष के अधीन कार्य करेगा;

(ii) वह अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवष्यक षक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उतरदायी होगा;

(iii) वह आयोग की बैठक के लिए नोटिस जारी करेगा, इसकी कार्यसूची तैयार करेगा और उसे बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले सभी सदस्यों में परिचालित करेगा और बैठक के लिये उसका प्रबंध करेगा ;

(iv) वह आयोग की बैठकों की कार्यवाहियों को तैयार करेगा और उन्हें अध्यक्ष से अनुमोदित करवाने के पष्चात् सरकार और आयोग के सभी सदस्यों को अग्रेषित djsxk(

(v) वह ठीक समय पर वित्तीय वर्ष के दौरान वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्ट और आयोग के क्रियाकलापों का सम्पूर्ण लेखा देते हुये ऐसी अन्य रिपोर्ट तैयार करेगा और इन्हें सरकार को भेजने से पूर्व अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पहले उन्हें प्रस्तुत करेगा।

(vi) वह गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि समाप्त होने, उनके त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्यथा से होने वाली रिक्ति के बारे में सूचना देगा;

(vii) वह आयोग का प्रषासकीय मुखिया होगा और निधि की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायीहोगा, और सुनिष्ि◌चत करेगा कि निधि की सम्पूर्ण धनराष्ि◌ायां उस प्रयोजन, जिसकेलिए वे प्रदान या आबंटित की गई है; के लिए खर्च की गई है;

(viii) og] ljdkj ;kआयोग से प्राप्त निर्देष को कार्यान्वित करने के लिए उŸ◌ारदायी will be;

(ix) आयोग द्वारा सौंपी गई कोई अन्य षक्तियां/कर्तव्य।

xSj&ljdkjh सदस्यों की fu;qfDr ds fucU/ku 'krsZa A /kkjk 6-

4- कोई व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियक्ति का पात्र होगा यदि वह:-
(i) Hkkjr dk ukxfjd gS(
(ii) पच्चीस वर्ष की आयु का हो;
(iii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित नहीं किया गया हो;
(iv) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं
(v) कदाचार के लिए सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया हो तथा लोक सेवा में के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया हो;
(vi) अनुन्मोचित दिवालिया नहीं हो; तथा
(vii) गाय के कल्याण, संरक्षण, परिरक्षण के लिए निस्वार्थ कार्यरत हो।

xSj&ljdkjh सदस्यों के HkRrsA /kkjk 12-

5- (1) अध्यक्ष को ऐसे भत्तां◌े, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किये जाये सहित ekuns; dk Hkqxrku fd;k tk;sxkA

(2) प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को आयोग की बैठकों में उपस्थित होने और इसके किसी [illegible] के ग्रेड-1 अधिकारियों को अनुज्ञेय हो;

v/;{k dh 'kfDr;ka] rFkk d`R;A /kkjk 15-

6- अध्यक्ष की षक्तियां, कर्तव्य तथा कत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-
(i) वह आयोग का मखिया होगा और आयोग की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वह के अधीन सौंपी गई सभी वित्तीय तथा प्रषासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा;
(ii) वह सरकार और आयोग के बीच सम्पर्क बनाए रखने के लिए कार्य करेगा;
(iii) उसे सदस्यों की सहमति से आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए समितियाँ/उप-समितियाँ बनाने और ऐसी समितियों/उप-समितियों के सदस्योंको नियुक्त करने की षक्तियाँ होंगी;
(iv) वह केन्द्रीय या हरियाणा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, संस्था, सोसाइटी, न्यास याकम्पनियों या किन्हीं निजी निकायों या व्यक्तियों से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहारस्वीकार करते हुए आयोग की सहमति से निधियों का सृजन करने के लिये समुचित उपायdjsxk(
(v) वह आयोग की गतिविधियों की योजना को समन्वित करेगा;
(vi) उसे ऐसे मानदण्डों, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, के अध्यधीन रजिस्ट्रर्ड गौषालाओं कोदस लाख रूपये तक की अनुदान सहायता देने की वित्तीय षक्ति होगी;
(vii) उसे प्राकृतिक आपदाओं की दषा में, सम्बन्ध उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद तथा आयोगद्वारा यथा अनुमोदित सत्यापन के अध्यधीन रजिस्ट्रर्ड गौषालाओं को दस लाख रूपये तक कीअनुदान सहायता देने की वित्तीय शक्ति होगी; तथा
(viii) वह आयोग के सामान्य कार्यो के सम्बन्ध में मार्गदर्षन करेगा और निगरानी रखेगा।

mik/;{k ds

7- (1) उपध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

'kfDr;ka d`R; rFkk drZO;A /kkjk 16- आयोग काeq[;k y;A /kkjk 17- निधियों

(2) उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अति-आवष्यक/तत्काल मामलों का निपटान करेगा किन्तुऐसे निर्णयों/बैठकों के लिए अध्यक्ष का कार्योŸार अनुमोदन अपेक्षि्ात होगा।

8- आयोग का मख्यालय पंचकला में अवस्थित होगा और आयोग के कार्य के प्रभावी राज्य में किसी भी स्थान पर बैठक कर सकता, जैसा आयोग उचित समझे।

9- (1) आयोग द्वारा सभी भगतान क्रास चैक/डाफ्ट/मनीआर्डर के माध्यम से और नकदी किये जायेंगे, जिसके लिये उचित रसीद दी जायेगी। राज्य सरकार, राज्य के सामान्य वित्त और लेखा नियमोंमें अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, अपने अनुदान इत्यादि भी आयोग के लेखों में वाले अनुसूचित वाणि्ाजयिक बैंक में संस्थागत बचत बैंक खाता खोलेगा तथा आयोग की सभी प्राप्तियां केवलbl [kkrs esa tek dh tk;saxh(rFkk

(3) उपरोक्त उक्त बैंक खाता सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा जो उक्त प्रयोजन के लिएअधिकृत हस्ताक्षरक होगा।

10 (1) आयोग की एक वित्त समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित की vFkkZr~%& foRr lfefrA धारा 21(2).

(i)	v/;{k	v/;{k
(ii)	अध्यक्ष/आयोग द्वारा नाम निर्देषि्ात एक	lnL;
(iii)	महानिदेषक, पषपालन एवं डेयरिंग विभाग या उसका नाम निर्देषि्ाती, जो संयुक्त निदेषक या उपनिदेषक की पदवी से नीचे का न हो	lnL;
(iv)	प्रबंधक निदेषक, हरियाणा पषधन विकास या उसका नाम निर्देषि्ाती, जो संयुक्त निदेषक या उपनिदेषक की पदवी से नीचे का न हो	lnL;
(v)	वित्त विभाग से एक अधिकारी जो उपसचिव की से नीचे का न हो	lnL;
(vi)	lfpo lnL;	

(2) वित्त समिति वित्तीय विवेक्षाओं को रखने वाले आयोग के सभी प्रस्तावों, स्कीमों औरपरियोजनाओं के अनुमोदन से पूर्व निरीक्षण करेगी और स्वीकृति हेतु आयोग को भेजेगी।

11. आयोग प्ररूप क, ख तथा ग के अनुसार प्रति वर्ष लेखों पर रिपोर्ट तैयार करेगा और रिकार्ड प्रधानegkys[kkdkj] gfj;k.kk }kjk laijhf{kr fd;k tk;sxkA ys[kk rFkk laijh{kkA /kkjk 24-

12. आयोग इसकी वित्तीय स्थितियों, कार्यक्रमों, कार्यकलापों तथा उपलब्धियों के पूर्ण ब्यौरे प्रकट करतेहुए प्ररूप घ, ड़, च तथा छ के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे आयोग की वार्षिकरिपोर्ट।

प्ररूप क

(देखिये नियम 11)

31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राप्ति तथा भुगतान लेखों के विवरण

प्राप्ति राषि ा (रुपयों में) Hkaxrku

प्ररूप ख

(देखिये नियम

11)

31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि के लिये आय तथा व्यय लेखों के विवरण

O:: राषि ा (रुपयों में) vk: राषि ा (रुपयों में)

प्ररूप ग

(देखिये नियम

11)

31 मार्च, ... को तुलन पत्र (बैलेंस सीट)

ब्यौरे राषि ा (रुपयों में) कुल(रु

प्ररूप घ

(देखिये नियम

12)

31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राप्ति तथा भुगतान लेखों के विवरण

प्राप्ति राषि ा (रुपयों में) Hkaxrku राषि ा (रुपयों में)

प्ररूप ङ

(देखिये नियम

12)

31 मार्च, ... को समाप्त होने वाली अवधि के लिये आय तथा व्यय लेखों के विवरण

O:: राषि ा (रुपयों में) vk:

प्ररूप च

(देखिये नियम

12)

31 मार्च, ... को तुलन पत्र (बैलेंस सीट)

ब्यौरे राषि ा (रुपयों में) कुल(रुपयों में)

प्ररूप छ

(देखिये नियम

12)

वार्षिक रिपोर्ट

Øe la[;k किये गये प्रोग्रामों/कार्यकलापों ं का विवरण miyfC/k;ka fVIi.kh

MkWå lquhy dqekj xqykVh]

vIkj eq[; lfpo] gfj;k.kk ljdkj]

पषुपालन तथा डेयरिंग विभाग।